प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 03.06.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 मतगणना के दृष्टिगत पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

आज दिनांक 03.06.2024 को जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मतगणना के दृष्टिगण रिजर्व पुलिस लाइन जनपद खीरी में मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिस फोर्स की मतगणना से सम्बन्धित ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए ड्यूटी प्वांइट पर समय से पहुंचने तथा अनुशासन में रहकर अपनी-अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हो सके। ब्रीफिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी तथा पश्चिमी, समस्त क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे।

जनपद में मतगणना के दृष्टिगत त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर अग्निशमन, एम्बुलेंस व चिकित्सा दल एवं अतिरिक्त क्यू0आर0टी0 व रिजर्व टीमों का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही जनपद के अन्य संवेदनशील स्थानों पर समुचित पुलिस व्यवस्थापन एवं रिजर्व क्यू0आर0टी0 टीमों का व्यवस्थापन करते हुए यूपी-112 के पीआरवी वाहनों को संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवस्थापित करते हुए नियमित पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त जमशेद उर्फ घमण्डे पुत्र सुलेमान को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्रीमान् गणेश प्रसाद साहा के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी महोदय खीरी व क्षेत्राधिकारी महोदय निघासन श्री प्रवीण कुमार यादव के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में चलाये जा रहे वांछित / वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत आज दिनांक 03.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना पढुआ श्री हरिकेश राय के कुशल मार्ग दर्शन में थाना पढुआ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 214/2024 धारा 2(ख)(17)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना पढुआ जनपद खीरी में वांछित चल रहे अभियुक्त जमशेद उर्फ घमण्डे पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम पठाननपुरवा थाना पढुआ खीरी को मझरापूरब रेलवे स्टेशन से पहले तिराहे से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्त –
जमशेद उर्फ घमण्डे पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम पठाननपुरवा थाना पढुआ खीरी ।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 39/23 धारा 3/5/5A/8 गौवध निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 214/2024 धारा 2(ख)(17)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986

अभि0 को गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1.उ0नि0 अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी पढुआ थाना पढुआ खीरी
2.हे0का0 अबरार हुसैन थाना पढुआ खीरी

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 20 लीटर अवैध शराब बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>20 लीटर अवैध शराब</u>** बरामद कर **<u>01 अभियुक्त</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>01 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।